संख्या- 777/2018/777/नौ-8-2018-53ज/2017टी.सी.

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश
2. **समस्त जिलाधिकारी**
   उत्तर प्रदेश
3. **निदेशक, नगरीय निकाय,**
   उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. **समस्त अधिशासी अधिकारी,**
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊ: दिनांक 02 मार्च, 2018**

विषयः- प्रदेश की नागर निकायों में "पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना" का कियान्वयन विषयक।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 19.96 करोड़ थी, जिसमें से 445 करोड़ व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या का 22.28 प्रतिशत है। प्रदेश में कुल 653 नागर निकायें हैं, जिनमें 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषदें एवं 438 नगर पंचायतें हैं। नगर पंचायतों की कुल जनसंख्या - 7473151 है, जो नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का 16.79 प्रतिशत है। नगर पंचायतों का उद्देश्य उनके क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सड़को / गलियों का निर्माण आदि उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश में स्थित नागर निकायों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में सबसे छोटी इकाई के रूप में नगर पंचायतें आती है, जो सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों से लगी हुई होती है। नगर पंचायतें प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों से विकसित होकर बनती हैं, जहां अभी भी नगरीय सुविधाओं का अभाव है, तथा आबादी कम होने की वजह से चौहदवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना मद में भी कम धनराशि उपलब्ध होती है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थित नगर पंचायतों व छोटी नगर पालिकाओं में अवस्थापना सुविधाओं को सुव्यवस्थित रूप से विकसित किये जाने एवं उनके समेकित विकास हेतु कोई योजना संचालित नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए गठित सबसे छोटी इकाई नगर पंचायतों तथा छोटी नगर पालिकाओं को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आगामी 10 वर्षो की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने के उद्देश्य से "पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना" के क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस योजना के अन्तर्गत 05 वर्षों में कुल 375 नगर पंचायतों को पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत" बनाया जायेगा, जो कुल नगर पंचायतों का 69 प्रतिशत होंगी। आगामी वर्षों में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अवशेष सभी नगर पंचायतों को भी "पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना'' से आच्छादित करते हुए उनकों भी "पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत" बनाया जायेगा। चयनित प्रत्येक नगर पंचायत को उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

4- वित्तीय वर्ष 2018-19 व उसके उपरांत नगर पंचायतों के चयन हेतु निम्न शर्ते होगी:-

(क) प्रत्येक जनपद की ऐसी नगर पंचायत का चयन किया जायेगा, जहाँ विगत तीन वर्षो में गृहकर, जलकर व अन्य कर की औसत कुल माँग का 50 प्रतिशत वसूली की गयी हो, जिस जनपद में ऐसी नगर पंचायत न हो उस जनपद में योजनान्तर्गत जनपद की सबसे छोटी नगर पालिका परिषद का चयन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निकायों की भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निकाय, जनपद के मा० जनप्रतिनिधियों (सांसद/विधायक के परामर्श/सहमति से करके संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी। जनपद की नगर पंचायतों में से सबसे कम जनसंख्या वाली नगर पंचायतों को इस योजना से आच्छादित किये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। निकाय का चयन शासन द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

5- पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित नागर निकायों को धनराशि आवंटित किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत है :-

(क) इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान समय में प्रदेश में स्थित 438 नगर पंचायतों में से प्रतिवर्ष प्रत्येक जनपद की एक नगर पंचायत को समन्वित रूप से विकसित कर उसे पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत बनाया जाना लक्षित किया गया है। योजनान्तर्गत चयनित नगर पंचायतों में 10 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 2.00 करोड़, 10 हजार से 20 हजार तक जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 3.00 करोड़ और 20 हजार से 50 हजार तक जनसंख्या वाली नगर पंचायतों को रूपये 4.00 करोड़ की धनराशि दो वर्षों में उपलब्ध करायी जायेगी। योजना का कार्य दो वर्षों में पूर्ण किया जायेगा।

(ख) ऐसे नगर पंचायतें जिनकी विगत 03 वर्षों के औसत माँग के सापेक्ष वसूली 50 से 65 प्रतिशत के मध्य होगी, को स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत, जिनकी वसूली 65 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत तक होगी. उन्हें स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत से ऊपर बसूली करने वाली नगर पंचायतों को स्वीकृत धनराशि की शतप्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6- इस योजना के अन्तर्गत कार्य योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत है :-

(i) योजना के अन्तर्गत चयनित नगर पंचायतों में न्यूनतम आवश्यकता एवं अधिकतम जनउपयोगी अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यों को सम्मिलित कर आवश्यकतानुसार एक समन्वित कार्ययोजना / डीपीआर तैयार की जायेगी। इसके लिए एक अनुभवी आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर, जिसे सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, उसकी सेवायें ली जा सकेंगी। सम्बन्धित आर्कीटेक्ट / टाउन प्लानर का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। सम्बन्धित आर्कीटेक्ट / टाउन प्लानर का दायित्व होगा कि वह चयनित निकाय का स्थलीय निरीक्षण कर सम्बन्धित कार्ययोजना / डीपीआर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर तैयार कर निकाय को उपलब्ध करायेगा और निकाय द्वारा उसे वित्त विभाग के शासनादेश के अनुरूप सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी। चयनित आर्कीटेक्ट / टाउन प्लानर द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण भी किया जायेगा, जिसके लिए परियोजना मूल्य का अधिकतम 2 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जायेगा, जो परियोजना मूल्य में सम्मिलित रहेगा। पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए वित्त पोषण शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। नगर पंचायतों के एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान की संरचना इस योजना के माध्यम से करायी जायेगी, जोकि अर्बन टाउन प्लानर / आर्कीटेक्ट के द्वारा की जायेगी।

(ii) निकाय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों / योजनाओं यथा-स्वच्छ भारत मिशन, कान्हा गौशाला, आदि के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से कार्य कराया जायेगा।

(ii) योजना के अन्तर्गत चयनित नगर पंचायत को स्वावलम्बी होना होगा एवं इसके लिए उन्हें गृह कर, जलकर / जलमूल्य तथा अन्य आवश्यक करों का निर्धारण व 80 प्रतिशत वसूली करनी होगी, इससे कम वसूली होने पर सम्बन्धित निकाय को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(iv) योजना के अन्तर्गत लेखों का रख-रखाव पृथक से रखा जायेगा तथा नगर पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का आडिट महालेखाकार से कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) योजना में चयनित निकायों के अन्तर्गत कार्ययोजना / डीपीआर में से कराये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण त्रैमासिक आधार पर जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी टीम जिसमें एक अधिशासी अभियंता स्तर का अधिकारी हो, के द्वारा किया जायेगा। इस तकनीकी टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रस्तावित डीपीआर के लिए स्वीकृत धनराशि की दूसरी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(vi) योजना की प्रगति की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर निदेशक नगरीय निकाय के द्वारा किया जायेगा तथा अपनी समेकित रिर्पोट शासन को प्रेषित की जायेगी।

(vii) योजना के अन्तर्गत चयनित निकायों द्वारा एक पृथक से राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जायेगा, जिसमें निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा निदेशालय स्तर पर खोले गये नोडल खाते के माध्यम से ई-पेमेन्ट के माध्यम से धनराशि सम्बन्धित निकाय को एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित की जायेगी।

(vii) योजना के कियान्वयन के विषय में भविष्य में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से कार्यवाही की जायेगी।

7- पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित नगर पंचायतों में समन्वित रूप से अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु जनोपयोगी सुविधाओं के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली कार्ययोजनाएं/डी०पी०आर० में निम्न कार्य सम्मिलित किये जा सकेंगे-

(i) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय के सभी घरों में शुद्ध पेयजल की पाइप वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जायेगी तथा सैपटेज मैनेजमेंट की व्यवस्था भी वरीयता पर की जायेगी।

(i) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली समस्त आन्तरिक सड़कों/गलियों में डामर रोड/ सी०सी० रोड़ / इण्टरलाकिंग / साइड पटरी / दोनों साइड नालियों / जल निकासी / फुटपाथ का निर्माण / सुधार किया जायेगा। सड़कों के निर्माण से पूर्व विद्युत तथा टेलीफोन के तारों को अन्डर ग्राउन्ड किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डक्ट बनाया जायेगा, जिससे सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त न हो।

(iii) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली समस्त आबादी क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सोलर लाईट / एल.ई.डी. लाइटों के माध्यम से किया जायेगा।

(iv) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक शौचालयों/ व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(v) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत यदि कोई तालाब / जल संग्रहण क्षेत्र उपलब्ध हो तो उसके संरक्षण, जल संचयन एवं सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

(vi) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चौराहों / सड़कों की पटरियों का निर्माण तथा कम से कम एक पार्क / खेल के मैदान का निर्माण / सुधार किया जायेगा।

(vi) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर निकाय क्षेत्रान्तर्गत कम से कम एक सामुदायिक केन्द्र / Exhibition Center का निमार्ण किया जायेगा।

(viii) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय के क्षेत्र के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

(ix) योजनान्तर्गत चयनित प्रत्येक नागर निकाय में एक गौशाला का निर्माण किया जायेगा।

(x) योजनान्तर्गत चयनित नागर निकाय को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि से जो परिसम्पत्तियों सृजित होंगी, उनका रख-रखाव सम्बन्धित नगर पंचायत द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु उनकी वचनबद्धता भी कार्ययोजना के साथ प्राप्त की जायेगी।

8- इस सम्बन्ध में कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी / मा० राज्यमंत्री जी नगर विकास विभाग।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / न्याय विभाग /नियोजन विभाग / कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
5- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।